

**मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र****(दिनांक 13/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)****वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13/07/2023 को सुबह 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
3. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोल्या, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
4. सुश्री गेसू मौर्य, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडी।
5. श्री देवेन्द्र कुमार तोमर, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
6. श्री भूपेन्द्र सिंह मर्तोल्या, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
7. श्री पंकज खत्री, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (i i) किरण मोहन मोहदिकर, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड, और (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित रहें थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

**1. 08/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

चूंकि 08/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, अनुमोदन समिति ने इसे ध्यान में रखा और तदनुसार, 08/06/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**2. क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव।****2.1 मैसर्स दीवान इंडिया**

1. मैसर्स दीवान इंडिया के क्षेत्र के विस्तार यानी निवल विदेशी मुद्रा अनुमानों में वृद्धि के साथ प्लॉट नंबर जे-06 को जोड़ने का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।

2. समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स दीवान इंडिया को विकासक द्वारा पत्र संख्या एसईआर 20220527/1000/1262/52050/एसआईडीसी-आईए/एसईजेड मुरादाबाद/217 दिनांक 21.06.2022 द्वारा 7608.40 वर्ग मीटर के प्लॉट नंबर जे-06, पॉकेट-'बी', मुरादाबाद एसईजेड का आवंटन दिया गया था।

3. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री साकेत कर्ण, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री साकेत ने बताया कि उन्हें अपने परिचालन का विस्तार करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके मौजूदा खरीदार और नए खरीदार अधिक ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्रमुख निर्यात गंतव्य अमेरिका, यूके और ईयू थे। उनके प्रमुख उत्पाद हस्तशिल्प थे जिनमें रसोई के सामान, क्रिसमस उपहार, गार्डन लाइट,

*सुरेंद्र मलिक*

I/48848/2023

फायरप्लेस आदि शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि वे मुख्य रूप से बांस, आम, पाइन, बबूल आदि जैसी नियमित लकड़ी का उपयोग करके उत्पाद बनाते हैं।

4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, निवल विदेशी मुद्रा अनुमानों में वृद्धि के साथ-साथ क्षेत्र के विस्तार यानी मैसर्स दीवान इंडिया के स्वीकृति पत्र में प्लॉट नंबर जे-06, पॉकेट- 'बी' को जोड़ने को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस कार्यालय के दिनांक 11.07.2023 के पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के अधीन है।

### 3. निर्धारित समय से परे वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के मामलों की निगरानी:

#### 3.1 मैसर्स अभिषेक इंटरनेशनल

1. इकाई के भागीदार श्री अभिषेक अग्रवाल ने अनुमोदन समिति के समक्ष वेबेक्स के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित होने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से कुछ तकनीकी समस्या के कारण ऑडियो/वीडियो कनेक्ट नहीं हो सका और इसलिए वह अपने प्रस्ताव को स्पष्ट नहीं कर सके।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित 1.83 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड में उपस्थित होंगे।
- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

#### 3.2 मैसर्स ए एंड एस इंटरनेशनल

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 97.58 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

#### 3.3 मैसर्स बंसल इंक.

1. इकाई के प्रतिनिधि श्री अविनाश आनंद ने वेबेक्स के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास किया, लेकिन उनके अंत में कुछ तकनीकी समस्या के कारण, वह ऑडियो/वीडियो कनेक्ट करने और अपने प्रस्ताव को समझाने में सक्षम नहीं थे।

सुरेंद्र मलिक

I/48848/2023

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 2.15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- i. इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- ii. इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- iii. इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.4 मैसर्स ब्राइट स्टार इम्पेक्स

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 61.56 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- i. इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- ii. इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- iii. इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.5 मैसर्स जेमिनी इंटरप्राइजेज

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 18.92 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- i. इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- ii. इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- iii. इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

सुरेश प्रालोक

### 3.6 मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस

1. इकाई के भागीदार श्री मोहन माहेश्वरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के लिए जारी 2.67 करोड़ रुपये का भुगतान प्रमाणपत्र मुरादाबाद एसईजेड कार्यालय में जमा कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज की तारीख में इकाई के पास प्राप्ति के लिए 3.63 करोड़ रुपये लंबित हैं, जिसमें से 41.31 लाख रुपये यूई खरीदार पर उसकी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण लंबे समय से लंबित हैं और निकट भविष्य में कुछ हिस्सों में भुगतान किए जाने की उम्मीद है। श्री माहेश्वरी ने यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा का लगभग 80.00 लाख रुपये दुबई में लंबित है और सूडान में शेष है, जिसके जल्द ही वसूल होने की उम्मीद है और सूडान में नागरिक अशांति के कारण अटक गया था।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि इकाई पहले से प्राप्त प्रेषण के संबंध में ईबीआरसी की प्रति प्रस्तुत करेगी। समिति ने इकाई को शेष लंबित विदेशी मुद्रा को जल्द से जल्द साकार करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

### 3.7 मैसर्स जेएमडी इंटरनेशनल

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 25.33 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.8 मैसर्स माधव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

1. श्री माधव सूरी, अधिकृत प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि बकाया विदेशी मुद्रा अमेरिका में एक खरीदार का है और अगले 10-15 दिनों में भुगतान होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में खरीदारों को लोहे और पीतल के उत्पाद निर्यात करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वह पिछले वर्षों के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जल्द से जल्द जमा करेंगे।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

- अनुमोदन समिति की अगली बैठक में मामले की समीक्षा की जायेगी।
- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.9 मैसर्स शैला एक्सपोर्ट्स

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

सुरेंद्र प्रालिक

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 10.28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.10 मैसर्स गिल्डार्ट यूनिट-II

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा वसूली के लिए लंबित 2.21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि ईबीआरसी की प्रतिलिपि के साथ वसूली के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए, जो प्रेषण पहले ही प्राप्त हो चुका है। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्देश दिया:

- इकाई के प्रवर्तक या अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति की अगली बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से या तो मुरादाबाद एसईजेड या नोएडा एसईजेड के प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

### 3.11 मैसर्स इंडियन हेरिटेज परफ्यूमर्स

1. इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

2. उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा पिछले वर्षों के लिए एपीआर जमा न करने को गंभीरता से लिया। समिति ने आगे इस प्रकार निर्णय लिया:

- इकाई को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन जमा करनी होगी और जल्द से जल्द एक विशेषाधिकृत लेखापाल प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
- इकाई को मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करना होगा।

## 4. अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव.

### 4.1 मेसर्स सहर ओवरसीज

1. स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल/संशोधित करने के लिए मेसर्स सहर ओवरसीज का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।

सुरेश मालिक

2. समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने मामले में 25.04.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णय के खिलाफ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष एसईजेड नियमों के नियम 55 के तहत अपील की। इकाई की अपील 17.06.2023 को आयोजित अपनी 115वीं बैठक में बीओए के समक्ष रखी गई थी, जिसमें "बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना और विचार-विमर्श के बाद, मामले को अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई देने के निर्देश के साथ विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड को वापस भेज दिया, इकाई अनुमोदन समिति के माध्यम से निर्णय लें और निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत आदेश पारित करें।"
3. अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों के मद्देनजर, मेसर्स सेहर ओवरसीज को अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए 13.07.2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था।
4. इकाई के भागीदार मोहम्मद अदनान आरिफ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री अदनान ने बताया कि वे अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे विदेशी खरीदारों से प्रस्तावित वस्तुओं के लिए ऑर्डर प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रस्तावित अतिरिक्त मदों के संबंध में 06.07.2023 को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि उनके पहले के प्रस्ताव दिनांक 29.06.2022 में अनुमानों में गणना के मुद्दे थे। श्री अदनान ने बताया कि वे साझेदार की अपनी पूंजी से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे इंडोनेशिया से आवश्यक कच्चे माल का आयात करेंगे और तैयार उत्पादों को वियतनाम और मलेशिया में निर्यात करेंगे।
5. प्रस्तावित उत्पादों में इकाई के साझेदारों के अनुभव और क्षेत्र में बाजार प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछे जाने पर, श्री अदनान ने बताया कि उन्होंने बाजार सर्वेक्षण और अनुसंधान किया था, लेकिन स्वीकार किया कि उन्हें उक्त उत्पादों के निर्माण या निर्यात का कोई पिछला अनुभव नहीं था। यह पूछे जाने पर कि क्या मुरादाबाद और उसके आसपास इन उत्पादों के निर्माण में कोई अन्य इकाई शामिल है, श्री अदनान ने नकारात्मक उत्तर दिया। अनुमोदन समिति ने पूछा कि उन्हें कपड़ा/परिधान या हस्तशिल्प जैसे उत्पादों के निर्माण में रुचि क्यों नहीं है, जिसके लिए मुरादाबाद और पड़ोसी क्षेत्र लोकप्रिय हैं, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। यह पूछे जाने पर कि प्रस्तावित व्यवसाय कैसे लाभ कमाने वाला उद्यम होगा, खासकर जब इकाई ने प्रस्तावित निर्यात स्थलों के पड़ोसी देश से आयात के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है, श्री अदनान कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
6. यूपीएसआईडीए के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर 96,681.00 रुपये का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान इकाई द्वारा निवेश मित्र वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद किया जा सकता है।
7. अनुमोदन समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित बातें देखीं:
  - i. इकाई के प्रवर्तकों के पास प्रस्तावित उत्पादों के क्षेत्र में कोई जमीनी स्तर का अनुभव नहीं है।
  - ii. प्रस्तावित कच्चे माल प्रकृति में संवेदनशील हैं और उन पर उच्च आयात शुल्क है। यह उन देशों में भेजे गए उत्पाद के आयात के कारण है जहां एफटीए के तहत भारत को निर्यात के लिए सीमा शुल्क लाभ उपलब्ध हैं। कुछ बंदरगाहों पर उत्पाद की गलत घोषणा की भी सीबीआईसी में कुछ जाँचें चल रही हैं।
  - iii. उत्पाद पर एक आयात शुल्क मूल्य है जो सीमा शुल्क मूल्यांकन के संबंध में संवेदनशीलता का एक बैरोमीटर है। डीजीएफटी ने न्यूनतम आयात मूल्य भी लगाया है।
  - iv. प्रस्तावित विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पाद इस क्षेत्र की विशेषता नहीं हैं। इकाई यह नहीं बता सकी कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में कोई ऐसा कर रहा था।
  - v. आसियान क्षेत्र से कच्चे माल का आयात और तैयार उत्पादों का निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संभव नहीं लगता है।
  - vi. 2018 में उत्पादन शुरू होने के बाद से इकाई का अतीत में प्रदर्शन मामूली रहा है और 2019 में बैंक स्वीकृति पत्र के संविधान और व्यापक सरबंदी में बदलाव के बाद भी यह काम नहीं कर पाया।
  - vii. इकाई वास्तव में हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात नहीं कर रही है या उसका इरादा नहीं है जो कि मुरादाबाद क्षेत्र की विशेषता है।

सुरेंद्र प्रालिन

8. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद और उपरोक्त कारणों के आलोक में, ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के संबंध में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने/संशोधित करने के लिए मेसर्स सहर ओवरसीज के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। समिति ने आगे निर्देश दिया कि मामले में इकाई अनुमोदन समिति के निर्णय की सूचना देते हुए इकाई को एक मौखिक आदेश जारी किया जा सकता है।

#### 4.2 मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल

1. मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल का प्रस्ताव (i) निर्यात की एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन और (ii) स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने/संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था।

2. समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल को उनके तत्काल निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा निम्नलिखित निर्यात के लिए दिनांक 17.06.2023 को एकमुश्त अनुमति दी गई है:

क्रमांक	माल का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड	खेप का मूल्य
01	पत्थर की कलाकृतियाँ	68159990	₹. 25,00,000.00

3. इकाई के भागीदार श्री गुलाम समनानी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। श्री समनानी ने बताया कि उन्होंने स्वीकृति पत्र में 01 अतिरिक्त उत्पाद/आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करने और एचएस 2023 नामकरण के मद्देनजर 02 मौजूदा उत्पादों के आईटीसी (एचएस) कोड को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आगे बताया कि वे अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए मौजूदा संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करेंगे। प्रस्तावित पत्थर की कलाकृतियों के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, श्री समनानी ने बताया कि वे क्रिसमस पेड़ों सहित अन्य धातु शिल्पों के लिए आधार के रूप में संगमरमर/पत्थर का उपयोग करते हैं और इकाई अनुमोदन समिति के सदस्यों को उत्पाद दिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि वे संगमरमर/पत्थर का आयात नहीं करना चाहते हैं और इसे मुरादाबाद के घरेलू बाजारों से खरीदेंगे। श्री समनानी ने आगे बताया कि उनका प्रमुख निर्यात जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को होता है।

4. यूपीएसआईडीए के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर 55,152.00 रुपये की धनराशि भुगतान हेतु बकाया है जिसका भुगतान इकाई द्वारा निवेश मित्र वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद किया जा सकता है।

5. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया:

- इकाई जल्द से जल्द विकासक यूपीएसआईडीए के लंबित बकाए का भुगतान करेगी।
- पत्थर की कलाकृतियाँ (एचएस 68159990) के निर्यात के लिए एकमुश्त अनुमति के संबंध में दिनांक 17.06.2023 को अनुमति की पुष्टि की गई।
- न्यूनतम आयात मूल्य या प्रशुल्क मूल्य वाली वस्तुओं सहित आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए सभी मानदंडों का पालन करें।
- दिनांक 29.05.2019 को स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन के रूप में निम्नलिखित उत्पादों/आईटीसी (एचएस) कोड को शामिल करने/संशोधन को मंजूरी दी गई:

क्रमांक	इकाई के अनुसार विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड
1	पीतल के बर्तनों का हस्तशिल्प	74198030
2	तांबे के बर्तनों का हस्तशिल्प	74198040
3	पत्थर की कलाकृतियाँ का हस्तशिल्प	68159990

सुरेंद्र प्रालिन्क

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त